## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 778/36–3–2011 दिनांक 18.08.2011 तथा शुद्धिपत्र विषयक अधिसूचना संख्या 1778/36–3–2011 दिनांक 03.10.2011 द्वारा कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100)माहजुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक के औसत 288.33 (दो सौ अठासी दशमलव तैंतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय है :–

दृष्टांत :– रूपयें 4300.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :–

(288.33–181)

———————X 4300 =रू0 2549.83 प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :–

| क्र0 | श्रेणी | प्रतिमाह मजदूरी रू0 में | परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में | | दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक 01.04.2018 से 30.09.2018 तक | दिनांक 01.10.2018 से 31.03.2019 तक | प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें, (रूपये में) | दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **अकुशल** | 4300.00 | 2494.48 | 2549.83 | 6849.83 | 263.45 |
| 2 | **अर्द्ध कुशल** | 4900.00 | 2842.54 | 2905.62 | 7805.62 | 300.22 |
| 3 | **कुशल** | 5450.00 | 3161.60 | 3231.76 | 8681.76 | 333.91 |
| 4 | **तारवाला** | 11150.00 | 6468.23 | 6611.77 | 17761.77 | 683.14 |
| 5 | **बेलनिया** | 7800.00 | 4524.86 | 4625.27 | 12425.27 | 477.89 |
| 6 | **पर्यवेक्षक** | 7550.00 | 4379.83 | 4477.02 | 12027.02 | 462.58 |
| 7 | मात्रानुपाती दरों के आधार पर चूड़ी जुड़ाई के कार्य में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2018 से 31.12.2018 की अवधि में रूपये 2000.00 प्रति 100 तोड़ा एवं दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 की अवधि में रूपये 2050.00 प्रति 100 तोड़ा होगी। | | | | | |

( राजेश मिश्रा )
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

**कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।**

पत्र सं0– /प्रवर्तन0–(म0 भत्ता) /15 दिनांक 14–9–2018

प्रतिलिपि :– 1327–1353

1. समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराऐं।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.inपर अपलोड कराने हेतु।
6. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषितसमस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
7. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

14/09/18
( राजेश मिश्रा )
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजन में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 801/36–3–2013–79(न्यू0 वे0)/07 दिनांक 25.07.2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 181 अंको के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक के औसत अंक 288.33( दो सौ अठासी दशमलव तैंतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है :–

दृष्टांतः– रूपये 4500.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगाः–

$$\frac{(288.33-181)}{181} \times 4500 = \text{रू0 } 2668.43 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :–

| क्र0 | शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियॉ | वर्तमान में संशोधित श्रेणियॉ | प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में | प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में | | दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दिनांक 01.04.2018से दिनांक 30.09.2018 तक | दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 | प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें, (रूपये में) | दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अकुशल | अकुशल | 4500.00 | 2610.50 | 2668.43 | 7168.43 | 275.71 |
| 2 | अर्द्ध कुशल | अर्द्ध कुशल | 5000.00 | 2900.55 | 2964.92 | 7964.92 | 306.34 |
| 3 | कुशल–क | कुशल | 5400.00 | 3132.60 | 3202.11 | 8602.11 | 330.85 |
| 4 | कुशल–ख | कुशल | 5300.00 | 3074.59 | 3142.81 | 8442.81 | 324.72 |
| 5 | कुशल–ग | कुशल | 5200.00 | 3016.57 | 3083.51 | 8283.51 | 318.60 |
| 6 | अतिकुशल | कुशल | 5500.00 | 3190.61 | 3261.41 | 8761.41 | 336.98 |
| 7 | लिपिक–1 | कुशल | 5400.00 | 3132.60 | 3202.11 | 8602.11 | 330.85 |
| 8 | लिपिक–2 | कुशल | 5100.00 | 2958.56 | 3024.22 | 8124.22 | 312.47 |

( राजेश मिश्रा )
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

## कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

पत्र सं0–1280-1326/प्रवर्तन0–(एम0डब्लू0) /15 दिनांक 14/9/ 2018

प्रतिलिपिः–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेल wagecell@nic.inके माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (आई0आर0), मुख्यालय।
6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.inपर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

14/09/18

( राजेश मिश्रा )
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

# न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 194/36–3–2014–07(न्यू0वे0)/04, दिनांकः 28.01.2014 द्वारा 59अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकाँक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक के औसत अंक 288.33( दो सौ अठासी दशमलव तैंतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगाः–

दृष्टांत :– रूपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगाः–

$$\frac{(288.33-216)}{216} \times 5750 = \text{रू0 } 1925.45 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:–

| क्र0 | श्रेणी | प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में) | प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में) | | दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक | दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक | कुल मजदूरी(रूपये में) | दैनिक मजदूरी (रूपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अकुशल | 5750.00 | 1863.42 | 1925.45 | 7675.45 | 295.21 |
| 2 | अर्द्ध कुशल | 6325.00 | 2049.77 | 2118.00 | 8443.00 | 324.73 |
| 3 | कुशल | 7085.00 | 2296.06 | 2372.49 | 9457.49 | 363.75 |

नियोजनों के नाम :–

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयॅल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उ़ल्लेख पहले नही किया गया है ।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राईवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों ।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाऐं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान।
27. वाणिज्य अधिष्ठान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसकैण्डी/ आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. बर्फ विनिर्माणशाला।

40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा (सिल्क की साड़ी की बुनाई ) जंरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईंट भट्ठा उद्योग।

( राजेश मिश्रा )
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

## कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

पत्र सं0– 1354-1380 /प्रवर्तन–(एम0डब्लू0) /15 दिनांक 14/9/ , 2018

प्रतिलिपिः–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रमं आयुक्त, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिक सेवायोजकों व उंनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराऐं।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ.।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेल wagecell@nic.inके माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुंक्त, (आई0आर0), मुख्यालय।
6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभाग वेबसाइट www.uplabour.gov.inपर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

14/09/18

( राजेश मिश्रा )
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।